भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EA 654710

Contract Agreement

Contract No……CMO/NHM/E-Rx/1832 Date: 06/08/2018

THIS CONTRACT ("Contract") is entered into this day on 06 August, 2018 by and between Convener, *District Health Society, National Health Mission, SAMBHAL* ("CMO SAMBHAL") having its principal office at ***CMO SAMBHAL, SAMBHAL CHC CAMPUS BAHJOI, UP.*** and ***M/s N. R. Contractor and General Supplier.***, "Owner Mr. Naveen Yadav " having its principal office located at Vill And Post Pathakpur Aligarh Road Bahjoi Distt Sambhal-244410

WHEREAS, the CMO Sambhal (District Health Society Sambhal) invited bids through etender.up.nic.in for providing taxi on monthly rent basis under M & E(Supportive Supervision) Programme and the selected firm has agreed to such engagement upon and subject to the terms and condition appearing below in this contract agreement, and

WHEREAS, the Firm is willing to perform these services,

NOW THEREFORE THE PARTIES hereby agreed as follows:

- Mr. Naveen Yadav S/o Shri Ved Prakash R/o Vill And Post Pathakpur Aligarh Road Bahjoi Distt Sambhal-244410 do hereby solemnly declare and affirm as under.
- That our Firm M/s N. R. Contractor and General Supplier registered with scientific authorities of state government.
- That the said firm is registered in Trade Tax Department with GST No. 09CESPK4765G1ZV.
- That the said firm is registered in Income Tax Department with PAN No. CESPK4765G.
- That the said firm is responsible to borne all expenses like Driver salary, insurance of vehicle, maintenance, POL etc. and submitting all taxes regularly.
- That the said firm agreed all terms and conditions which you have been given in this agreement and also in tender (RFP). If I can't fulfill all the terms and conditions herewith you can cancel my agreement and I have no objection for this.

to be contd. on page 02

Scanned by CamScanner

उपरोक्त दोनों पक्षों द्वारा जनपद सम्भल में सहयोगात्मक पर्यावेक्षण के लिए जनपद स्तर पर दो एवं ब्लाक स्तर पर आठ वाहनों की व्यवस्था हेतु सर्वसहमति से नियमानुसार अनुबन्ध किया जाता है।

1. यह कि जिलाधिकारी महोदय, जनपद सम्भल के अनुमोदन दिनांक 01.08.2018 एवं प्रथम पक्ष कार्यालय अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक संख्याः सीएमओ/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/वाहन/2018–19/1826–32, दिनाकं 04.08.2018 के सन्दर्भ में जनपद सम्भल के 8 सामु0 स्वा0 केन्द्रों में कुल 08 (ब्लॉक स्तर) एवं 02 जनपद स्तर पर वाहन सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिदिन 8 घटें नियमित रुप से चिकित्सालय में वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराया जायेगा। पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु टैक्सी परमिट वाहन माह में कम से कम 1500 कि0मी0 अवश्य चलाया जायेगा। यदि वाहन 1500 कि0मी0 से कम चलता है तो अनुपातक अनुसार भुगतान कराया जायेगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष वाहन पर जी0पी0आर0एस0 सिस्टम लगा होना अनिवार्य है, तथा बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये बिल के साथ जी0पी0आर0एस0का डाटा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष को इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो का पालन करना होगा, तथा वाहनों को 24 घण्टें चालू हालात में एवं वाहन की साफ सफाई व आवश्यक रख रखाब द्वितीय पक्षकार (सेवा प्रदाता) द्वारा किया जायेगा। तथा नियमित जॉच हेतु वाहन वार्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
4. वाहन चालक की व्यवस्था स्वंय द्वितीय पक्षकार (सेवा प्रदाता) द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना अनिवार्य हैं। इसका जिम्मेदार द्वितीय पक्षकार होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा, द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियन्त्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशो का पालन करें, द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का प्रयोग नही करेगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
5. द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करे कि सामु0स्वा0 केन्द्रों पर उपलब्ध कराये गये वाहन, परिवहन विभाग में पंजीकृत एवं वाहन का टैक्सी परमिट होना अनिवार्य हैं। **उच्चाधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वाहन टैक्सी परमिट एवं निविदा शर्तो के अनुरूप नही पाया जाता हैं, तो प्रथम पक्ष द्वारा निविदा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए द्वितीय पक्षकार स्वंय उत्तरदायी होगा।**
6. द्वितीय पक्ष द्वारा भुगतान हेतु भ्रमण करने बाले अधिकारी से हस्ताक्षरित एवं चिकित्सा अधीक्षक से सत्यापित लॉग बुक (जी.पी.एस. डाटा के साथ) आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर बजट उपलब्धता की स्थिति में 10 दिन के अन्दर अथवा 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

7. वाहन की छोटी–मोटी टुट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
8. सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।
9. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता हैं एवं स्पष्टीकरण का जबाव सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा। तथा धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगा।
10. द्वितीय पक्षकार को उनके द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत निविदा दिनॉक **04.08.2018 के अनुसार रू0 29;990/– (उन्तीस हजार नौ सौ नब्बे रू0 मात्र) प्रतिमाह** की द्रर से (सभी करों सहित) भुगतानं किया जायेगा।
11. द्वितीय पक्ष को नियमानुसार व्यापारकर/वाणिज्यकर/वैट/आदि करों का भुगतान करना होगा तथा कर जमा न करने पर द्वितीय पक्ष स्वंय उत्तरदायी होगा।
12. **इस अनुबन्ध की अबधि दिनॉक 04.08.2018 से दिनॉक 31.03.2019 यां अगली निविदा होने तक मान्य होगी।**
13. अनुबन्ध के दौरान भारत सरकार स्तर से राज्य कार्य योजना पर अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात यदि किसी प्रकार के भौतिक एवं वित्तीय नियमों में परिवर्तन गाईडलाईन के अनुसार वांछनीय होता हैं तो द्वितीय पक्षकार को संशोधित दिशा निर्देश दिये जायेगें।

अनुबन्ध का दिनांकः–

द्वितीय पक्ष

(हस्ताक्षर)

मैसर्स एनआर कॉण्ट्रैक्टर एण्ड जनरल सप्लायर
ग्राम व पोस्ट पाठकपुर, जनपद सम्भल।

प्रथम पक्ष

(हस्ताक्षर) 06.08.18

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद सम्भल।

1. गवाह Umesh Chandra
Village - Ghonghi Mohkam
Post - Ghonghi Bahan
Distt - Sambhal.

2. गवाह (हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

Gmail Team M & E <menrhm@gmail.com>

Fwd: Supportive supervision vehicle detail

1 message

DPMU NHM SAMBHAL <dpmusambhal@gmail.com> Mon, Feb 4, 2019 at 12:58 PM
To: menrhm <menrhm@gmail.com>, Div PMU Moradabad <divpmumoradabad@gmail.com>, Chief Medical Officer Sambhal <cmosambhal@gmail.com>

Dear Sir/Madam,
Please find attached file.

---------- Forwarded message ---------
From: **CMO SAMBHAL** <cmosambhal6@gmail.com>
Date: Thu, Jan 31, 2019 at 12:54 PM
Subject: Supportive supervision vehicle detail
To: DPMU Sambhal <dpmusambhal@gmail.com>

--
Respected Sir/Madam,
Kindly Find The Attachments...........

With Thanks & Regards
Chief Medical Officer
Sambhal.

--
With Regards

District Program Management Unit
National Health Mission
District -Sambhal
Email- dpmusambhal@gmail.com
Phone# 05921243646

SS VEHICLE.pdf
311K

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद सम्भल।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकःसीएमओ/सहयो0पर्य0/वाहन /सूचना/2018–19/ दिनॉकः

विषयः सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लिये गये वाहनों की सूची के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मिशन निदेशक के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्डई./2018–19/01/6806–75 दिनॉक 22.09.2018 के अनुपालन में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु अनुबन्धित वाहनों से सम्बन्धित सूचना का विवरण निम्नानुसार आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

Supportive Supervision Vehicle Hiring – Block wise Information 2018-19

S.No.	Name of Division	Name of District	Block Name	Sent Vehicle No.	Corrected Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement copy attached
01	Moradabad	Sambhal	Bahjoi	UP-38T-4573	Correct	04.08.2018	Yes
02	Moradabad	Sambhal	Pawansa	UP-14GT-0747	Correct	04.08.2018	
03	Moradabad	Sambhal	Rajpura	UP-38T-6060	Correct	04.08.2018	
04	Moradabad	Sambhal	Gunnaur	UP-14FT-8278	Correct	04.08.2018	
05	Moradabad	Sambhal	Junawai	UP-16FT-4596	UP-16ET-4596	04.08.2018	
06	Moradabad	Sambhal	Sambhal	UP-14T-7342	UP-14FT-7342	04.08.2018	
07	Moradabad	Sambhal	Manota	UP-14ET-6384	Correct	04.08.2018	
08	Moradabad	Sambhal	Narauli	UP-16ET-2706	Correct	04.08.2018	

Supportive Supervision Vehicle Hiring – DISTRICT LEVEL Information 2018-19

S.No	Name of District	Name o f Agreement Signing Officer	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle No-2	Date of Hiring	Agreement copy attached
01	Sambhal	Sambhal	UP-21AN-9308	04.08.2018	UP-21BN-2403	04.08.2018	YES

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद सम्भल।

पृसं0ःसीएमओ/सहयो0पर्य0/वाहन /सूचना/2018–19/ तद्‌दिनॉकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ–

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद सम्भल।
2. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद सम्भल।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद सम्भल।